

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्गा/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 43]

रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 24 अक्टूबर 2025—कार्तिक 2, शक 1947

विषय—सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.—(क) (1) छत्तीसगढ़ विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद में पुरःस्थापित विधेयक, (ख) (1) अध्यादेश, (2) छत्तीसगढ़ अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 13 अगस्त 2025

क्रमांक ESTB(1)/91/2025-GAD-2.—विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 11-04-2025 द्वारा श्रीमती आर. शंगीता, भा.प्र.से. (2005) को दिनांक 24-04-2025 से दिनांक 08-08-2025 तक स्वीकृत संतान पालन/अर्जित अवकाश की निरंतरता में दिनांक 09-08-2025 से 14-08-2025 तक (दिनांक 15, 16 एवं 17 अगस्त, 2025 के राजपत्रित अवकाश को जोड़ते हुए) 06 दिवस का अर्जित अवकाश में वृद्धि किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अन्वेष घृतलहरे, उप-सचिव.

गृह (पुलिस) विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 24 सितम्बर 2025

क्रमांक एफ 7-06/2025/दो-गृह/भापुसे.—राज्य शासन एतद्वारा श्री संदीप कुमार पटेल, (भापुसे-2020), सेनानी, 16वीं वाहिनी, छसबल, नारायणपुर, छ.ग. को दिनांक 23-09-2025 से 29-09-2025 (कुल 07 दिवस) तक का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

2. अवकाश से लौटने पर श्री संदीप कुमार पटेल आगामी आदेश तक सेनानी, 16वीं वाहिनी, छसबल, नारायणपुर, छ.ग. के पद पर पुनः पदस्थ होंगे।
3. अवकाश अवधि में श्री पटेल को अवकाश वेतन एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश में प्रस्थान करने से पूर्व प्राप्त होते थे।
4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री पटेल (भापुसे-2018) अवकाश पर नहीं जाते तो वे अपने पद पर यथावत कार्यरत रहते।
5. श्री संदीप कुमार पटेल, (भापुसे-2020), सेनानी, 16वीं वाहिनी, छसबल, नारायणपुर, छ.ग. के उक्त अवकाश अवधि में उनका प्रभार श्री रॉबिन्सन गुरिया (भापुसे-2020), पुलिस अधीक्षक, जिला नारायणपुर, छ.ग. को उनके वर्तमान कार्य के साथ-साथ सौंपा जाता है।

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 25 सितम्बर 2025

क्रमांक एफ 7-05/2018/दो-गृह/भापुसे.—राज्य शासन एतद्वारा श्री गुरजिंदर पाल सिंह (भापुसे-1994), विशेष पुलिस महानिदेशक, पुलिस मुख्यालय, नवा रायपुर को दिनांक 22-09-2025 से 26-09-2025 (कुल 05 दिवस) तक का अर्जित अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है। साथ ही दिनांक 20, 21, 27 एवं 28 सितम्बर 2025 के विज्ञप्त शासकीय अवकाश का लाभ उठाने एवं मुख्यालय छोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है।

2. अवकाश से लौटने पर श्री सिंह (भापुसे), विशेष पुलिस महानिदेशक, पुलिस मुख्यालय, नवा रायपुर के पद पर पुनः पदस्थ होंगे।
3. अवकाश अवधि में श्री सिंह (भापुसे) को अवकाश वेतन एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश में प्रस्थान करने से पूर्व प्राप्त होते थे।
4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री सिंह (भापुसे) अवकाश पर प्रस्थान नहीं करते, तो वे अपने पद पर यथावत कार्यरत रहते।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
डी. एस. ध्रुवे, अवर सचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बस्तर जगदलपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

बस्तर जगदलपुर, दिनांक 22 सितम्बर 2025

क्रमांक/क/भू-अर्जन/02/अ-82/2024-25.— भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम-2013 की धारा 19(2) के तहत यह घोषित किया जाता है राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 30, आसना से खड़कघाट मार्ग के कि.मी. 1/8 इन्द्रावती नदी पर उच्चस्तरीय पुल एवं पहुंच मार्ग निर्माण कार्य हेतु जगदलपुर नगर 'खड़ग बगीचा' तहसील जगदलपुर जिला बस्तर स्थित निजी भूमि अर्जन से प्रभावित खातेदार/परिवार को निम्नानुसार पुनर्वास लाभ प्राप्त होंगे.

क्र.	पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन हकदारी के अवयव	क्या उपलब्ध कराया गया है यदि उपलब्ध कराया गया है जो ब्यौरा दे
01	विस्थापन की दशा में मकान इकाइयों की व्यवस्था.	लागू नहीं होता.
02	भूमि के लिए भूमि	लागू नहीं होता.
03	विकसित भूमि के लिए प्रस्थापना	लागू नहीं होता.
04	वार्षिक या नियोजन का विकल्प	छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग निर्देश क्रमांक एफ-7-4/सात-1/2015 दिनांक 29-08-2016 में निहित निर्देश/ प्रावधान अनुसार भू-अर्जन अधिनियम 2013 की अनुसूची "दो" की कंडिका-4 का लाभ पात्र प्रभावित खातेदार/परिवार को प्राप्त होगा.
05	विस्थापित कुटुम्बों के लिए एक वर्ष की अवधि तक जीवन निर्वाह अनुदान	लागू नहीं होता.
06	विस्थापित कुटुम्बों के लिए परिवहन खर्च	लागू नहीं होता.
07	पशु बाड़ा/छोटी दुकान खर्च	लागू नहीं होता.
08	कारीगरों, छोटे व्यापारियों और कतिपय अन्य को एक बार अनुदान	लागू नहीं होता.
09	मछली पकड़ने का अधिकार	लागू नहीं होता.
10	एक बार पुनर्व्यवस्थापन भत्ता	लागू नहीं होता.
11	स्टाम्प शुल्क और रजिस्ट्रीकरण फीस	लागू नहीं होता.

2. तदनुसार आज दिनांक /सितम्बर/2025 को यह घोषणा पत्र जारी किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
हरिस. एस, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला-बस्तर जगदलपुर,
छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन,
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

बस्तर जगदलपुर, दिनांक 22 सितम्बर 2025

क्रमांक/क/भू-अर्जन/02/अ-82/2024-25.— चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19(1) के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला-बस्तर
- (ख) तहसील-जगदलपुर
- (ग) नगर/ग्राम-जगदलपुर
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-25508.50 वर्गफुट

शीट नंबर/ भू-खण्ड क्रमांक (1)	रकबा (वर्गफुट में) (2)
-------------------------------------	------------------------------

शीट नंबर-70 भू-खण्ड-11	908.50
शीट नंबर -71 भू-खण्ड-04	19440.00
शीट नंबर-72 भू-खण्ड-03	5160.00

योग	03	25508.50
-----	----	----------

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-विकासखण्ड जगदलपुर के अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 30, आसना से खड़कघाट मार्ग के कि.मी. 1/8 इन्द्रावती नदी पर उच्चस्तरीय पुल एवं पहुंच मार्ग निर्माण कार्य हेतु जगदलपुर नगर 'खड़ग बगीचा' तहसील जगदलपुर जिला बस्तर स्थित निजी भूमि.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)/भू-अर्जन अधिकारी, जगदलपुर, जिला बस्तर तथा कार्यालय कार्यपालन अभियंता लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण संभाग जगदलपुर जिला बस्तर के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
हरिस. एस, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (रा.), रायगढ़ जिला-रायगढ़ (छ.ग.)

रायगढ़, दिनांक 10 अक्टूबर 2025

“प्रारूप-ख”

[नियम-5 का उपनियम (1)]

राजस्व प्रकरण क्रमांक 1504/202510042100006/बी-121/2024-25.—राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि ग्राम साराडीह, प.ह.नं. 29, तहसील डभरा, जिला सक्ती (छ.ग.), से जल परिवहन हेतु ग्राम-लारा प.ह.नं. 40 एनटीपीसी, तहसील-पुसौर, जिला रायगढ़ तक मेसर्स एनटीपीसी लिमिटेड ग्राम लारा द्वारा भूमिगत पाईप लाईन बिछाई जानी है.

और राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईप लाईन बिछाने के लिये यह आवश्यक प्रतीत होता है कि ग्राम-गुडू प.ह.नं. 28, तहसील पुसौर जिला रायगढ़ की भूमि का जिसमें भूमिगत पाईप लाईन बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए.

अतएव, राज्य सरकार एतद्वारा छत्तीसगढ़ भूमिगत पाइप लाईन (भूमि के उपयोग के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम 2004 (क्रमांक 07 सन् 2004) की धारा 3 उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए उस भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है.

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम का नाम/ प.ह.नं.	खसरा नं.	भूमिगत पाइप लाइन डालने उपयोग के अधिकार के लिए अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टे. में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
रायगढ़	पुसौर	गुड्ड/ प.ह.नं. 28	47/4	0.123
			61/2	0.045
			61/1	0.170
			60	0.020
			63	0.043
			62/1	0.061
			62/2	0.049
			66	0.132
			82/5	0.031
			80	0.096
			217/2	0.020
			77	0.022
			78/1	0.063
			65	0.040
			76/1	0.004
			82/2	0.040
			74	0.008
			76/3	0.008
			75	0.085
			99, 100	0.114
			101	0.050
			102	0.004
			138	0.061
			137	0.120
			135/1	0.405
			134/1	0.008
			134/3	0.020
			151/4	0.040
			151/8	0.016
			152/1	0.049
			152/6	0.027
			141/7	0.040
			164/1	0.069
			302/4	0.121
			302/7	0.008
			151/3	0.085
			151/5	0.016

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			159	0.145
			160	0.004
			162	0.040
			163/1	0.030
			163/2	0.061
			164/3	0.030
			233	0.040
			232	0.040
			231/15	0.174
			231/4ग	0.136
			231/14ख	0.016
			231/34	0.145
			231/1	0.042
			220/1	0.144
			220/3	0.144
			220/4	0.067
			221/2	0.065
			223	0.126
			221/3	0.075
			222	0.202
			298	0.101
			299/3	0.061
			297/1	0.021
			299/2	0.077
			300/1	0.027
			300/2	0.019
			301	0.049
			302/6	0.181
			302/9	0.030
			330/4	0.024
			330/3	0.012
			322/10	0.194
			302/3	0.064
			333/1	0.087
			331	0.130
			332	0.313
			324/2	0.090
			324/3	0.036
			324/4	0.012
			324/1	0.171
			322/9	0.040
			323/2	0.012
योग			80	5.790

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होने के, इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईप लाईन बिछाये जाने के संबंध में, सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (रा.) रायगढ़, छत्तीसगढ़ को लिखित रूप से आक्षेप भेज सकेगा.

रायगढ़, दिनांक 10 अक्टूबर 2025

“प्रारूप-ख”

[नियम-4 का उपनियम (1)]

राजस्व प्रकरण क्रमांक 1507/202510042100008/बी-121/2024-25.—राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि ग्राम साराडीह, प.ह.नं. 29, तहसील डभरा, जिला सक्ती (छ.ग.) से जल परिवहन हेतु ग्राम-लारा प.ह.नं. 40 एनटीपीसी, तहसील-पुसौर, जिला रायगढ़ तक मेसर्स एनटीपीसी लिमिटेड ग्राम लारा द्वारा भूमिगत पाईप लाईन बिछाई जानी चाहिए.

और राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईप लाईन बिछाने के लिये यह आवश्यक प्रतीत होता है कि ग्राम-केशापाली, प.ह.नं. 34, तहसील रायगढ़ की भूमि का जिसमें भूमिगत पाईप लाईन बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए.

अतएव, राज्य सरकार एतद्वारा छत्तीसगढ़ भूमिगत पाईप लाईन (भूमि के उपयोग के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम 2004 (क्रमांक 07 सन् 2004) की धारा 3 उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए उस भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आषय की घोषणा करती है.

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम का नाम/ प.ह.नं.	खसरा नं.	भूमिगत पाइप लाइन डालने उपयोग के अधिकार के लिए अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टे. में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
रायगढ़	पुसौर	केशापाली/ प.ह.नं. 34	1/2	0.405
			1/1	0.102
			2/1	0.094
			4/5, 4/3	0.095
			4/4	0.081
			4/2	0.099
			4/10	0.065
			22/4	0.008
			22/3	0.008
			4/8	0.109
			4/11, 22/5	0.026
			4/9	0.095
			21/2	0.080
			8/4	0.030
			8/5	0.121
			8/6	0.018
			10	0.238
			11/3	0.084
			11/4	0.121
			12	0.286
			22/2	0.024
			3	0.020
योग			23	2.209

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होने के, इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईप लाईन बिछाये जाने के संबंध में, सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (रा.) रायगढ़, छत्तीसगढ़ को लिखित रूप से आक्षेप भेज सकेगा।

रायगढ़, दिनांक 10 अक्टूबर 2025

“प्रारूप-ख”

[नियम-4 का उपनियम (1)]

राजस्व प्रकरण क्रमांक 15/10/202510042100007/बी-121/2024-25.—राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि ग्राम साराडीह, प.ह.नं. 29, तहसील डभरा, जिला सक्ती (छ.ग.) से जल परिवहन हेतु ग्राम-लारा प.ह.नं. 40 एनटीपीसी, तहसील-पुसौर, जिला रायगढ़ तक मेसर्स एनटीपीसी लिमिटेड ग्राम लारा द्वारा भूमिगत पाईप लाईन बिछाई जानी चाहिए।

और राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईप लाईन बिछाने के लिये यह आवश्यक प्रतीत होता है कि ग्राम-गोतमा, प.ह.नं. 34, तहसील रायगढ़ की भूमि का जिसमें भूमिगत पाईप लाईन बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव, राज्य सरकार एतद्वारा छत्तीसगढ़ भूमिगत पाईप लाईन (भूमि के उपयोग के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम 2004 (क्रमांक 07 सन् 2004) की धारा 3 उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए उस भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम का नाम/ प.ह.नं.	खसरा नं.	भूमिगत पाइप लाइन डालने उपयोग के अधिकार के लिए अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टे. में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
रायगढ़	पुसौर	गोतमा/ प.ह.नं. 34	2/1	0.022
			4/1	0.081
			4/2	0.065
			103, 105	0.012
			3/1	0.066
			16/1	0.048
			15/1	0.051
			13/7	0.081
			346/4	0.123
			12/4	0.053
			12/2	0.038
			29/3	0.061
			28	0.081
			913	0.021
			32/3	0.053

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			37	0.091
			39/2	0.081
			917/2	0.021
			39/1	0.057
			64	0.018
			87	0.031
			104	0.189
			63	0.012
			317/1	0.028
			348/2	0.069
			65/1	0.235
			84	1.360
			101	0.031
			99	0.012
			100/2	0.171
			346/2	0.023
			347	0.054
			100/1	0.105
			166	0.069
			346/3	0.069
			167	0.181
			165	0.180
			164/2	0.312
			163/1	0.179
			163/2	0.040
			312	0.081
			314/1	0.020
			314/2	0.134
			319/1	0.078
			38/2	0.091
			316	0.060
			317/2	0.051
			317/4	0.050
			932/1	0.129
			346/1	0.021
			345/1	0.091
			334/1	0.073
			334/3	0.190
			345/2	0.073
			345/3	0.083
			931	0.060
			930/28	0.028

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			930/31	0.079
			930/29	0.032
			930/34	0.095
			930/27	0.063
			930/33	0.133
			930/20	0.185
			930/30	0.090
			930/35	0.141
			914	0.061
			917/1	0.050
			920	0.085
			915	0.060
			921	0.021
			922/3	0.024
		कुल	71	6.906

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होने के, इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईप लाईन बिछाये जाने के संबंध में, सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (रा.) रायगढ़, छत्तीसगढ़ को लिखित रूप से आक्षेप भेज सकेगा.

महेश शर्मा
सक्षम प्राधिकारी
अनुविभागीय अधिकारी (रा.).

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

HIGH COURT OF CHHATTISGARH, BILASPUR

Bilaspur, the 22nd August 2025

No. 17106/Checker/III-6-1/2007 (Pt.I).—In exercise of the powers conferred under sub section (3) of Section 9 read with Section 26 of the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023, the High Court of Chhattisgarh hereby confers the powers of Judicial Magistrate First Class upon the following Judicial Magistrate Second Class :—

Sl. No. (1)	Name of the Judicial Magistrate Second Class (2)	Present place of posting (3)	Present Civil District (4)
1.	Shri Lov Kumar Lahare, J.M.S.C., Korba	Korba	Korba
2.	Ku. Pragya Singh, J.M.S.C., Jashpur	Jashpur	Jashpur

(1)	(2)	(3)	(4)
3.	Ku. Riya Chakravorty, J.M.S.C. Bilaspur	Bilaspur	Bilaspur
4.	Ku. Siddhi Vhora, J.M.S.C., Bilaspur		
5.	Shri Hitesh Kumar Valeja, J.M.S.C., Bilaspur		
6.	Ku. Richi Jain, J.M.S.C., Bilaspur		

By Order of the High Court,
MANSOOR AHMED, I/c Registrar General.

Bilaspur, the 5th August 2025

No. 12/L.G./2025/II-2-11/2023.—Smt. Neelima Singh Baghel, Judge, Family Court, Bemetara is hereby, granted commuted leave for 02 days on 04-10-2024 & 05-10-2024 along with permission to remain out of headquarters from 04-10-2024 to 06-10-2024, earned leave for 05 days from 28-12-2024 to 01-01-2025 in continuation of winter vacation along with permission to remain out of headquarters from 23-12-2024 till 01-01-2025, earned leave for 05 days from 13-01-2025 to 17-01-2025 along with permission to remain out of headquarters from 13-01-2025 to 19-01-2025, earned leave for 05 days from 10-02-2025 to 14-02-2025 along with permission to remain out of headquarters from 10-02-2025 till before the Court hours of 17-02-2025, earned leave for 04 days from 10-03-2025 to 13-03-2025 along with permission to remain out of headquarters after the National Lok Adalat on 08-03-2025 till before the Court hours of 17-03-2025, child care leave for 12 days from 05-04-2025 to 16-04-2025 along with permission to remain out of headquarters, earned leave for 05 days from 02-06-2025 to 06-06-2025 along with permission to remain out of headquarters from 01-06-2025 to 08-06-2025 and earned leave for 04 days from 18-07-2025 to 21-07-2025 along with permission to remain out of headquarters from 18-07-2025 to 21-07-2025.

During the period of earned leave & commuted leave, as the case may be, she shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave as aforementioned.

Certified that if Smt. Baghel, had not proceeded on leave as aforementioned then she would have been working on the same post.

After deduction of the aforementioned leave, 154 days of half-pay-leave, 654 days of child care leave and 112 days of earned leave are remaining in her leave account as on date.

Bilaspur, the 5th August 2025

No. 13/L.G./2025/II-3-43/2010.—Shri Prafull Kumar Sonwani, Judge, Family Court, Mahasamund is hereby, granted earned leave for 04 days from 04-12-2024 to 07-12-2024 along with permission to remain out of headquarters after the Court hours of 03-12-2024 till before the Court hours of 09-12-2024, earned leave for 06 days from 24-02-2025 to 01-03-2025 along with permission to remain out of headquarters after the Court hours of 22-02-2025 till before the Court hours of 03-03-2025 and earned leave for 07 days from 05-07-2025 to 11-07-2025 along with permission to remain out of headquarters after the Court hours of 04-07-2025 till before the Court hours of 14-07-2025.

During the period of earned leave, he shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave as aforementioned.

Certified that if Shri Sonwani, had not proceeded on leave as aforementioned then he would have been working on the same post.

After deduction of the aforementioned leave, 211 days of earned leave are remaining in his leave account as on date.

By order of the High Court,
SANTOSH THAKUR, Additional Registrar (ADMN.)
